प्रेस-विज्ञप्ति 06. 02.2021

दिनांक 06 फ़रवरी, 2021 को सायं 04:00 बजे मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, सी.आई.आर.सी. ऑफ आई.सी.ए.आई. की आगरा, प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर ब्रांचेस के संयुक्त तत्वाधान में यूनियन बजट – 2021-22 पर वर्चुअल वेबिनार का आयोजन जूम पोर्टल के माध्यम से किया गया।

मर्चेंट्स चेम्बर के अध्यक्ष CA मुकुल टंडन ने सभी का स्वागत करते हुए मर्चेंट्स चेम्बर के उद्देश्य तथा उद्योग व व्यापार के निरंतर उत्थान के लिए किये गये कार्य पर अपने विचार प्रस्तुत किये साथ ही यह भी कहा कि इस तरह के जागरूक सत्र समय-समय पर अवश्य आयोजित होते रहने चाहिए अभी हाल ही में 1 फ़रवरी, 2021 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रथम बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था। यूनियन बजट के विश्लेषण के सम्बन्ध में यह संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया है, जिसका वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल कपूर (नई दिल्ली से) एवं सी.ए. टी.पी. ओसवाल (मुम्बई से) द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया।

जूम पोर्टल के माधयम से जुड़े वक्ता **वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल कपूर** ने बजट में प्रकाशित निम्नलिखित तथ्यों पर प्रकाश डाला :

1. क्लॉज़ 12 के अंतर्गत एल.एल.पी. (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) कम्पनीज प्रेसंपटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए योग्य नहीं होंगी और यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावित होगा।
2. क्लॉज़ 11 सेक्शन 44 AB के अंतर्गत : यदि कम से कम 95% व्यापार प्राप्तियां और भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाते हैं, तो डिजिटल माध्यम से लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स ऑडिट की सीमा रुपया 5 करोड़ से रुपया 10 करोड़ किया जाना प्रस्तावित किया गया है और यह वर्ष 2021-22 से प्रभावित होगी।
3. छोटे और मध्यम करदाताओं के टैक्स विवाद को निपटने के लिए विवाद समाधान समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

क्लॉज़ 7, 18 एवं 20 के अंतर्गत गुडविल डेप्रिसिएशन, क्लॉज़ 35 एवं 42 के अंतर्गत आय छिपाने के पश्चात विभाग द्वारा असेसमैन्ट एवं रिओपनिंग, सेक्शन 148 में प्रस्तावित प्रविष्टि, सेक्शन 149 एवं 151 में प्रस्तावित प्रावधान, क्लॉज़ 160 में डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत विवाद से विश्वास अधिनियम से संबंधित प्रस्तावित संशोधन, क्लॉज़ 78 के अंतर्गत फेसलेस आई.टी.ए.टी. के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों के हित में योगदान दिए जाने वाले मासिक पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि निर्धारित समय- सीमा में पी.एफ. व ई.एस.आई. को जमा करानी होगी अन्यथा वह राशि उस संसथान की आमदनी मान ली जाएगी।

सत्र के दूसरे वक्ता **सी.ए. टीपी ओसवाल** ने बताया कि:

1. भविष्य निधि खाते में रुपया 2.5 लाख से अधिक के वार्षिक योगदान पर अर्जित ब्याज आय के लिए कर छूट को प्रतिबंधित करना प्रस्तावित है।
2. इसी तरह से म्यूच्यूअल फण्ड की यूलिप में भी छूट रुपया 2.50 लाख तक की गयी। स्टार्टअप्स को मिलने वाली छूट एक साल के लिए बढ़ाई गयी।

3. बजट 2021 में किसी भी व्यक्ति यानी व्यक्ति / कंपनी / सहकारी समिति के संबंध में कर दरों, उपकर और अधिभार के संबंध में कोई संशोधन नहीं है।
4. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी (आवासीय घर संपत्ति) के लिए ऋण की मंजूरी की तारीख को बढाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।
5. सेक्शन 89 में अधिसूचित विदेशी सेवानिवृत्ति निधि (notified overseas retirement fund) से आय के कराधान के संबंध में राहत दी गयी है।
6. यदि वरिष्ठ नागरिक की आय सिर्फ पेंशन और उसी सम्बंधित बैंक में जमा धन पर ब्याज हो तो आई.टी.आर. दाखिल करने से सशर्त राहत गयी है।
7. पार्टनरशिप फर्म में डिसॉलूशन या रेकॉन्स्टिटूशन होने पर ट्रांसफर होने वाली संपत्ति पर टैक्स गेन में भी परिवर्तन किया गया है।
8. अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन पर भी बजट में परस्तुत किये गए बदलाव को विस्तार से बताया।
9. विश्वस्तरीय आई.एफ.एस.सी. के अंतर्गत पहले से स्थापित एवं नयी स्थापित होने वाली यूनिट्स के प्रोत्साहन पर बजट में चर्चा की गयी।

कार्यक्रम का संचालन सी.ए. अभिसक पाण्डेय एवं संयोजक सीए सुधींद्र जैन ने किया। सत्र के अंत में धन्यवाद-प्रस्ताव मर्चेंट्स चेम्बर के उपाध्यक्ष श्री अतुल कनोडिया ने प्रस्तुत किया।

सत्र में श्री आर.के. अग्रवाल, श्री श्याम मेहरोत्रा, श्री सुनील खन्ना, श्री टीकम चंद सेठिया, श्री उमेश पांडेय, श्री संतोष कुमार गुप्ता, मर्चेंट्स चेम्बर सचिव महेंद्र नाथ मोदी, मर्चेंट्स चेम्बर के सदस्यगण तथा उपरोक्तलिखित सहयोगी संस्थाओं के पधारिकारीगण व विशेषज्ञ, व्यापारी व उद्यमीगण उपस्थित थे।

धन्यवाद